न्यायालयः अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, त्वरित न्यायालय (द्वितीय), अमरोहा।

पीठासीन अधिकारी– ज्योति, (एच0जे0एस0) (JO CODE– UP1770)

UPJB010062772018

Presented on : 22-12-2018
Registered on : 22-12-2018
Decided on : 20-04-2026
Duration : 7 years, 3 months, 29 days

(1). सत्र परीक्षण संख्या– 24/2018

उत्तर प्रदेश राज्य ....**अभियोजन पक्ष**

बनाम

1. फरीदा पत्नी यासीन उर्फ कल्लन
2. मोहसिन पुत्र यासीन उर्फ कल्लन

निवासीगण मौहल्ला कुरैशी नई बस्ती, थाना अमरोहा नगर, जिला अमरोहा

..................**अभियुक्तगण**

मु0अ0सं0–02/2018

धारा–8/15 एन.डी.पी.एस. एक्ट

थाना– अमरोहा नगर, जिला–अमरोहा

एवं

UPJB010062782018

Presented on : 22-12-2018
Registered on : 22-12-2018
Decided on : 20-04-2026
Duration : 7 years, 3 months, 29 days

(2). सत्र परीक्षण संख्या– 25/2018

उत्तर प्रदेश राज्य ....**अभियोजन पक्ष**

बनाम

मोहसिन पुत्र यासीन उर्फ कल्लन निवासी मौहल्ला कुरैशी नई बस्ती, थाना अमरोहा नगर, जिला अमरोहा ....**अभियुक्त**

मु0अ0सं0–03/2018

धारा–8/20 एन.डी.पी.एस. एक्ट

थाना– अमरोहा नगर, जिला–अमरोहा

Digitally signed by JYOTI
CHAUDHARY
Date: 2026.04.20 15:34:55 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

<u>पक्षकारों के अधिवक्तागण</u> –

अभियोजन की ओर से उपस्थित–**श्री राकेश मिश्रा, अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी)**

अभियुक्तगण की ओर से उपस्थित अधिवक्ता– **श्री खालिक उज्ज़मान।**

<u>निर्णय</u>

(<u>दिनांक– 18.04.2026 को उदघोषित</u>)

1– थाना अमरोहा नगर पुलिस द्वारा अभियुक्तगण फरीदा एवं मोहसिन के विरूद्ध मु.अ.सं. 02/2018, अंतर्गत धारा 8/15 एन.डी.पी.एस. एक्ट के अंतर्गत एवं अभियुक्त मोहसिन के विरूद्ध मु.अ.सं. 03/2018, अंतर्गत धारा 8/20 एन.डी.पी.एस. एक्ट के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किये गये। विवेचना के पश्चात अभियुक्तगण फरीदा व मोहसिन के विरूद्ध मु.अ.सं. 02/2018, अंतर्गत धारा 8/15 एन.डी.पी.एस. एक्ट व अभियुक्त मोहसिन के विरूद्ध मु.अ.सं. 03/2018, अंतर्गत धारा 8/20 एन.डी.पी.एस. एक्ट में अलग–अलग आरोप पत्र प्रेषित किये गये, जिन पर न्यायालय द्वारा प्रसंज्ञान लिया गया।

2– इस सत्र विचारणीय मामले के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है कि वादी मुकदमा उपनिरीक्षक पवन कुमार सिंह, थाना अमरोहा नगर, जिला अमरोहा द्वारा दिनांक 02.01.2018 को समय 18:46 बजे प्रथम सूचना रिपोर्ट जुबानी सूचना के आधार पर इस कथन के साथ दर्ज कराई कि, ''दिनांक 02.01.2018 को मैं एस.आई. पवन कुमार सिंह व एस.आई. राजीव कुमार व एस.आई. वेद सिंह मय हमराहीयान म0कां0 507 अर्चना व म0कां0 502 अर्चना व म0कां0 853 राखी व कां0 737 मोहित कुमार व 65 नरेश कुमार के मय सरकारी जीप UP23G0227 के चालक पातीराम के थाना हाजा से व हवाले रपट नं0 22 सं० 12.10 बजे रवाना होकर थाना क्षेत्र देखभाल होटल चैकिंग/सार्वजनिक स्थान पर शराब पीने व बेचने के/चैकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन में मामूर होकर जट बजार चौकी क्षेत्र में कांठ रोड पर थे कि मुखवीर खास द्वारा सूचना मिली की मौहल्ला कुरैशी गली नं0 1 में स्व. कलन की पत्नी व लड़का अपने घर के आंगन में डोडा व चरस की पुड़िया बना बनाकर बेच रहे हैं अगर जल्दी किया जाये तो पकड़े जा सकते हैं इस सूचना पर विश्वास करके आने जाने वाले जनता के व्यक्तियों को गवाही के लिए चलने को कहा गया तो आने जाने वाले लोगों द्वारा भलाई बुराई के कारण चलने से इन्कार किया एवं बिना नाम पता बताये दबी जुबान यह कहते हुए कि सहाब उसके कई लड़कियाँ हैं जो जायेगा उसी पर उल्टा सीधा आरोप लगा देगी, हम पुलिस वालों द्वारा मय मुखवीर के एक दूसरे की जामा तलाशी ले देकर विश्वास किया कि सूचना सम्बन्धी कोई अवैध वस्तु नहीं है। हम पुलिस वाले मय मुखवीर के बताये स्थान की तरफ चले जैसे ही हम पुलिस वाले मौहल्ला कुरैशी में गली नं० 1 के

मोड़ पर पहुंचे मुखवीर द्वारा गली में एक मकान की तरफ इशारा करके बताया कि यही कल्लन का मकान है और चला गया कि हम पुलिस वालों ने दबे पांव मैन दरवाजे पर जाकर छिपकर देखा तो एक औरत व एक लड़का आंगन में बैठे पोलोथीन में कुछ चूर्ण टाईप का कर पैक कर रहे हैं अतः मुखवीर द्वारा दी गयी सूचना पर पूर्ण विश्वास होने के बाद हम पुलिस वालों ने एक वारगी दबिश देकर घेर घोट कर पैकिंग कर रहे लड़के व औरत को समय करीब 16.45 बजे महिला के मान सम्मान को दृष्टिगत रखते हुए महिला कांस्टेबल द्वारा उक्त दोनों को विधिवत पकड़कर नाम पता पूछते हुए जामा तलाशी ली गयी तो लड़के ने अपना नाम मोहसीन पुत्र स्व. कलन नि० मौ० कुरैशी थाना अमरोहा नगर जिला अमरोहा बताया तथा पकड़ी गयी महिला ने अपना नाम फरीदा पत्नी स्व. कल्लन नि० मौ० कुरैशी थाना अमरोहा नगर जिला अमरोहा बताया एवं बताया कि पकड़ा गया लड़का मेरा पुत्र मोहसीन है एवं दोनों की जामा तलाशी महिला कांस्टेबल व कर्मचारी गणों द्वारा लिवायी गयी तो मोहसीन की पहनी पेन्ट की दोनो जेबों से पन्नी में रखी धूप बत्ती टाईप के दो पैकेट बरामद हुए जिनके बारे में पूछने पर बताया कि सहाब यह चरस है एवं सामने कट्टे में रखे लकड़ी के बुरादा टाईप चूर्ण जिससे पकड़े गये दोनों लड़का व महिला छोटी–छोटी पन्नियों में करीब 50 ग्राम की पुड़िया बना रहे थे, के बारे में फरीदा द्वारा बताया गया कि सहाब यह डोढा चूर्ण है जिसको बेचने के लिए पुड़िया तैयार कर रहे थे अतः हम पुलिस वालों द्वारा चरस व डोडा होने के कारण पकड़े गये दोनों व्यक्ति/महिला से कहा गया कि आप अपनी तलाशी यदि राजपत्रित अधिकारी/ मजिस्ट्रेट के समक्ष चलकर लिवाने को कहा तो दोनों ने एक राय होकर कहा कि जब सहाब जब हम लोगों आपने पकड़ ही लिया है, आप ही हमारी तलाशी ले लो अपनी गलती की माफी मांगते हुए बोले कि सहाब मेरा पति मर चुका है कई लड़कियां हैं, इसलिए चरस व डोडा चूर्ण की पुडिया बना बना कर बेच कर परिवार चला रहे हैं डोडा चूर्ण एवं चरस बेचने का लाईसेन्स तलब किया गया तो दिखाने में कासिर रहे एवं मौके पर एक प्लास्टिक के कट्टे में डोडा चूर्ण करीब 3.500 kg एवं प्लास्टिक पन्नी में भरे डोडा चूर्ण करीब 50 g की 30 पुडिया एवं करीब 70 खाली पोलोथीन एवं एक स्टेपलर जिससे पोलोथीन पैकेट पैक किये जा रहे थे व एक स्टील का चम्मच जिसे अन्दाजे पोलोथीन में भरकर पैकेट बनाये जा रहे थे, बरामद हुआ एवं इसी क्रम में धारा 50 NDPS Act के प्रावधानों के अन्तर्गत सहमति पत्र मौके पर तैयार कर दोनों के अलामात बनवाये गये कां0 737 मोहित कुमार से पास की दुकान से बाट तराजू मंगवाकर बरामद माल को तोला गया तो प्लास्टीक के कट्टे में डोडा चूर्ण 3 kg 300 ग्राम व पोलोथीन के 30 पैकेट में 1 kg 600 ग्राम व मोहसीन से बरामद दो पोलोथीन में चरस 200 g बरामद हुआ। बरामद माल से दो पैकेट तैयार डोडा चूर्ण से भरे हुए एवं एक पोलोथीन में करीब 100 g डोडा चूर्ण प्लास्टीक कट्टे से एक सफेद कपडे में रखकर व बरामदा चरस के पैकेटों से करीब 50 g एक पोलोथीन

पैकीट में वास्ते परीक्षण निकालकर एक सफेद कपड़े में रखकर शील कर एवं बरामदा डोडा चूर्ण व पैकेट, स्टेपलर व स्टील का चम्मच उसी कट्टे में रखकर सर्वे शील मोहर किया तथा बरामद 150 g चरस एक पोलोथीन में रखकर सफेद कपडे में शील कर सर्वे शील मोहर किया गया एवं गिरफ्तारी के दौरान मानव अधिकार आयोग/सर्वोच्च न्यायालय के/ महिला के मान सम्मान का पूर्णतया ध्यान रखते हुए आदेशों / निर्देशों का पूर्णतया पालन करते हुए हस्व कायदा हिरासत पुलिस लिया गया। फर्द एवं धारा 50 का प्रावधानों का सहमति पत्र व गिरफ्तारी अधिपत्र मौके तैयार कर मुझ si द्वारा पुलिस पार्टी को पढ़कर सुनाकर गवाही गवाहान करायी गयी। गिरफ्तारी की सूचना मौके पर उसके परिजन पुत्री चांदनी व साईन को दी गयी। ''

3– उपरोक्त फर्द बरामदगी/गिरफ्तारी के आधार पर दिनांक 02.01.2018 को समय 18:46 बजे थाना अमरोहा नगर पर अभियुक्तगण फरीदा एवं मोहसिन के विरूद्ध मु0अ0सं0 02/2018 धारा 8/15 एन.डी.पी.एस. एक्ट के अन्तर्गत तथा अभियुक्त मोहसिन के विरूद्ध मु0अ0सं0 03/2018 धारा 8/20 एन.डी.पी.एस. एक्ट के अन्तर्गत चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट तैयार की गयी, जिनका इन्द्राज मुकदमा कायमी जी0 डी0 की रपट संख्या 31 पर उसी दिन व उसी समय किया गया।

4– विवेचक द्वारा मामले की विवेचना ग्रहण करने के उपरान्त विवेचना प्रारम्भ की गयी तथा दौराने विवेचना विवेचक द्वारा अभियुक्तगण व गवाहान के बयान अंकित किये गये एवं पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध होने पर अभियुक्तगण फरीदा व मोहसिन के विरूद्ध मु.अ.सं. 02/2018, धारा 8/15 एन.डी.पी.एस. एक्ट के अन्तर्गत आरोप पत्र सं0 77/18 व अभियुक्त मोहसिन के विरूद्ध मु.अ.सं. 03/2018, धारा 8/20 एन.डी.पी.एस. एक्ट के अन्तर्गत आरोप पत्र सं0 78/18 न्यायालय में प्रेषित किये गये।

5– अभियुक्तगण फरीदा एवं मोहसिन के विरूद्ध न्यायालय द्वारा मु0अ0सं0 02/2018 में दिनांक 25.03.2019 को धारा 8/15(b) एन.डी.पी.एस. एक्ट के अन्तर्गत तथा अभियुक्त मोहसिन के विरूद्ध न्यायालय द्वारा मु0अ0सं0 03/2018 में दिनांक 25.03.2019 को धारा 8/20(b)(ii)(B) एन.डी.पी.एस. एक्ट के अन्तर्गत आरोप विरचित किया गया। अभियुक्तगण ने आरोप से इंकार किया तथा विचारण की मॉग की।

6– उपरोक्त दोनों सत्र परीक्षण की पत्रावलियाँ एक ही घटनाक्रम से सम्बन्धित होने के कारण न्यायालय के आदेश दिनांकित 24.07.2019 के द्वारा समेकित की गयी एवं लीडिंग पत्रावली सत्र परीक्षण संख्या 24/2018 बनायी गयी तथा साक्ष्य सम्बन्धी समस्त कार्यवाही इसी लीडिंग सत्र परीक्षण संख्या 24/2018 में की गयी है। सुविधा की दृष्टि से उपरोक्त दोनों पत्रावलियों का निस्तारण एक साथ किया जा रहा है।

7– अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत किये गये साक्ष्य का विवरण इस प्रकार हैः–

क– <u>मौखिक साक्ष्य</u>–

साक्षी संख्या	नाम साक्षी	भूमिका
पी0 डब्लू0–1	एस.आई. पवन कुमार सिंह	प्रस्तुत प्रकरण का वादी मुकदमा
पी0 डब्लू0–2	एस.एस.आई. वेद सिंह	हमराह पुलिस कर्मी
पी0 डब्लू0–3	कां0 क्लर्क खचेड़ू सिंह	प्रस्तुत प्रकरण का एफ 0 आई 0 आर 0 लेखक
पी0 डब्लू0–4	हैड कां0 मिथलेश त्रिपाठी	विधि विज्ञान प्रयोगशाला में नमूना माल की दाखिलाकर्ता
पी0 डब्लू0–5	सेवानिवृत्त एस.आई. सत्यदेव सिंह	प्रस्तुत प्रकरण का विवेचक

ख– दस्तावेजी साक्ष्य–

प्रदर्श क्रमांक	विवरण	साबितकर्ता साक्षी
प्रदर्श क–1	धारा 50 एन.डी.पी.एस. एक्ट का सहमति पत्र	पी0 डब्लू0–1
प्रदर्श क–2	फर्द बरामदगी/गिरफ्तारी	पी0 डब्लू0–1
प्रदर्श क–3	प्रस्तुत प्रकरण की प्रथम सूचना रिपोर्ट	पी0 डब्लू0–3
प्रदर्श क–4	मु0 अ 0 सं0 03/2018 की प्रथम सूचना रिपोर्ट	पी0 डब्लू0–3
प्रदर्श क–5	दोनों मुकदमों की मुकदमा कायमी जी0 डी0 की कम्प्यूटरीकृत प्रति	पी0 डब्लू0–3
प्रदर्श क–6	मु0 अ 0 सं0 02/2018 से संबंधित नमूना माल विधि विज्ञान प्रयोगशाला में दाखिल करने की प्राप्ति रसीद	पी0 डब्लू0–4
प्रदर्श क–7	मु0 अ 0 सं0 03/2018 से संबंधित नमूना माल विधि विज्ञान प्रयोगशाला में दाखिल करने की प्राप्ति रसीद	पी0 डब्लू0–4
प्रदर्श क–8	नक्शा नजरी	पी0 डब्लू0–5
प्रदर्श क–9	मु0 अ 0 सं0 02/2018 से संबंधित विधि विज्ञान प्रयोगशाला की परीक्षण रिपोर्ट	पी0 डब्लू0–5
प्रदर्श क–10	मु0 अ 0 सं0 03/2018 से संबंधित विधि विज्ञान प्रयोगशाला की परीक्षण रिपोर्ट	पी0 डब्लू0–5
प्रदर्श क–11	मु0 अ 0 सं0 02/2018 का आरोप पत्र	पी0 डब्लू0–5
प्रदर्श क–12	मु0 अ 0 सं0 03/2018 का आरोप पत्र	पी0 डब्लू0–5

ग–वस्तु प्रदर्श–

वस्तु प्रदर्श क्रमांक	विवरण	साबित करने वाला साक्षी
वस्तु प्रदर्श – 1	प्लास्टिक का कट्टा	पी0 डब्लू0–1
वस्तु प्रदर्श – 2 ता 31	कट्टे के अंदर भरी 30 पॉलीथीन	पी0 डब्लू0–1
वस्तु प्रदर्श – 32	स्टील की चम्मच	पी0 डब्लू0–1
वस्तु प्रदर्श – 33	स्टैपलर	पी0 डब्लू0–1
वस्तु प्रदर्श – 34	कट्टे में मौजूद खाली पन्नी के पैकेट	पी0 डब्लू0–1
वस्तु प्रदर्श–35	बरामद चरस	पी0 डब्लू0–1
वस्तु प्रदर्श–36	बरामद डोडा	पी0 डब्लू0–1

8– दिनांक 16.02.2026 को अभियुक्तगण की परीक्षा धारा 313 दं0 प्र 0 सं0 के अन्तर्गत अंकित की गई। परीक्षा के दौरान अभियुक्तगण ने साक्षियों के बयानात के सम्बन्ध में यह कहा कि साक्षियों ने झूठा बयान दिया है। अभियोजन साक्षियों द्वारा अभियोजन प्रपत्रों को गलत साबित करना, गवाहान द्वारा रंजिशन बयान देने, मुकदमा

रंजिशन चलने का कथन करते हुए यह भी कथन किया है कि पुलिस से कहासुनी हो गई थी, इसलिये उनके खिलाफ यह झूठा मुकदमा लिखाया। अभियुक्तगण द्वारा कोई सफाई साक्ष्य प्रस्तुत न करने का भी कथन किया गया है।

9– अभियोजन पक्ष की ओर से विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा बहस प्रारम्भ करते हुए यह कहा गया कि अभियुक्तगण के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य है और अभियुक्तगण को आरोपित अपराध के लिए दोषसिद्ध किया जाये।

10– अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बचाव में यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध संदेह से परे साबित नहीं है। अभियुक्तगण द्वारा कोई अपराध नहीं किया गया है। अतः अभियुक्तगण को इस मुकदमे में दोषमुक्त किया जाये।

11– विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी एवं अभियुक्तगण की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गयी तथा पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य का सम्यक परिशीलन किया।

12– अभियोजन व बचाव पक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्कों के प्रकाश में अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के विश्लेषण और परीक्षण से पूर्व साक्षियों के मुख्य परीक्षा के सारांश का उल्लेख करना उचित होगा।

(i) **अभियोजन साक्षी पी0 डब्लू0–1 एस.आई. पवन कुमार सिंह**, जोकि प्रस्तुत प्रकरण का वादी मुकदमा है, के द्वारा दिनांक 24.07.2019 को मुख्य परीक्षा में दिया गया सशपथ बयान यह है कि, ''दिनांक 02.01.2018 को मैं थाना अमरोहा नगर में एस.आई. के पद पर तैनात था। इस दिन मैं, एस.आई. राजीव कुमार, एस.आई. वेद सिंह, महिला कां0 502 अर्चना, महिला कां0 553 राखी, कां0 737 मोहित कुमार, नरेश कुमार मय जीप सरकारी व चालक के साथ रपट सं0 22 समय 12.10 बजे दिन थाने से रवाना होकर क्षेत्र में गश्त पर थे। जब हम जट बाजार चौकी क्षेत्र में कांठ रोड पर थे, तो मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि मौ0 कुरैशी गली नं0 1 में स्वर्गीय कल्लन की पत्नी व लड़का अपने घर के आंगन में डोडा व चरस की पुड़िया बनाकर बेच रहे हैं। सूचना पर विश्वास करके हमने जनता के व्यक्तियों को साथ लेने का प्रयास किया, लेकिन कोई तैयार नहीं हुआ। तब आपस में जामातलाशी लेकर विश्वास किया कि हम लोगों के पास कोई नाजायज वस्तु नहीं है। हम पुलिसवाले मुखबिर के बताये गये स्थान पर मय मुखबिर के पहुंचे तो मुखबिर ने गली में मकान की तरफ इशारा करके बताया कि यही कल्लन का मकान है और चला गया। हम पुलिस वाले दबे पांव चुपचाप दरवाजे पर पहुंचे और छिपकर देखा कि एक लड़का व एक औरत आंगन में बैठे पॉलीथीन में कुछ चूरन टाइप वस्तु पैक कर रहे हैं। जिससे हमें पूर्ण विश्वास हो गया कि ये लोग अवैध वस्तु बेच रहे हैं और हम पुलिस वालों ने समय करीब 16.45 बजे पैकिंग कर रहे लड़के व औरत को पकड़ लिया और नाम व पता पूछते हुए महिला कां0 द्वारा जामा तलाशी ली, तो

लड़के ने अपना नाम मोहसिन बताया और महिला ने अपना नाम फरीदा बताया। बताया कि मोहसिन मेरा लड़का है। महिला की जामातलाशी महिला कां0 द्वारा ली गई तथा मोहसिन की तलाशी अन्य पुलिस वालों द्वारा ली गई। मोहसिन की तलाशी में मोहसिन की पहनी पैंट की दोनों जेबों से पन्नी में रखी धूपबत्ती टाइप दो पैकेट बरामद हुए और पूछने पर बताया कि यह चरस है और सामने कट्टे में रखे लकड़ी के बुरादा टाइप चूर्ण जिससे पकड़े गये लड़का व महिला छोटी–छोटी पन्नियों में 50–50 ग्राम की पुड़िया बना रहे थे, के बारे में फरीदा ने बताया कि ये डोडा चूर्ण है, जिसको बेचने के लिए पुड़िया तैयार कर रहे थे। हम पुलिस वालों ने पकड़े गये दोनों महिला व लड़के से तलाशी लेने से पहले कहा था कि यदि तुम चाहो तो तुम्हारी तलाशी किसी राजपत्रित अधिकारी/मजिस्ट्रेट के समक्ष ली जा सकती है, किन्तु दोनों लोगों ने मना कर दिया और हम पुलिस वालों पर विश्वास जताते हुए अपनी तलाशी लेने को कहा था तथा हमें अपनी तलाशी लेने का सहमति पत्र दिया। पकड़े गये दोनों व्यक्तियों ने सहमति पत्र दिया था। सहमति पत्र मेरे हस्तलेख में है तथा सहमति पत्र पर फरीदा व मोहसिन का निशानी अंगूठा मौजूद है, **प्रदर्श क–1** डाला गया। बरामदगी होने पर पकड़े गये दोनों लोगों ने कहा, माफी मांगते हुए कहा कि हम चरस व डोडा की चूर्ण की पुड़िया बनाते व बेचते हैं। चरस बेचने का लाइसेंस मांगा, नहीं दिखा सका। मौके पर कट्टे में करीब 3½ Kg डोडा चूर्ण व प्लास्टिक की 30 पन्नी में प्रत्येक में 50 ग्राम चूर्ण और करीब 70 खाली पालीथीन, एक स्टैप्लर व स्टील का चम्मच बरामद हुआ। बराबर की दुकान से तराजू मंगाकर बरामद माल तोला गया। कट्टे में 3 Kg 400 ग्राम व तीस पन्नियों में 1 Kg 600 ग्राम डोडा चूर्ण बरामद हुआ। मोहसिन से बरामद दो पन्नियों में 200 ग्राम चरस बरामद हुई। बरामद माल से 2 पैकेट तैयार डोडा चूर्ण 100 ग्राम–100 ग्राम व बरामद चरस में से करीब 50 ग्राम चरस नमूना के तौर पर लेकर एक पालीथीन में लिया था। बरामद माल को मौके पर सील किया गया। फर्द मौके पर मेरे द्वारा तैयार की गई, जिस पर मेरे तथा पुलिस कर्मियों के हस्ताक्षर कराये गये। फर्द पढ़कर सुनाई गई। अभियुक्तगण के निशानी अंगूठा फर्द में अंकित किये गये तथा अभियुक्तों की सहमति के आधार पर अभियुक्त मोहसिन को फर्द की प्रति दी गई। बरामद माल की फर्द मेरे सामने पत्रावली पर मौजूद है। मेरे लेख व हस्ताक्षर में है, **प्रदर्श क–2** डाला गया। अभियुक्तगण से बरामद माल न्यायालय में मेरे सामने मौजूद है। कट्टे को खोलकर देखा गया। प्लास्टिक के कट्टे पर वस्तु प्रदर्श–1 डाला गया। कट्टे के अन्दर भरी तीस पालीथीन जिसमें डोडा चूर्ण भरा है, जिस पर वस्तु प्रदर्श 2 ता 31 डाला गया। कट्टे के अन्दर मौजूद स्टील की चम्मच पर वस्तु प्रदर्श–32 तथा स्टैप्लर पर वस्तु प्रदर्श–33 डाला गया। कट्टे में मौजूद खाली पन्नी के पैकेट पर वस्तु प्रदर्श–34 डाला गया। बरामद चरस पर वस्तु प्रदर्श–35 व बरामद डोडा पर वस्तु प्रदर्श–36 डाला गया। बरामद माल व मुल्जिमान को थाने पर लाकर मेरे द्वारा मुकदमा कायम कराया गया। ''

(ii) **अभियोजन साक्षी पी0 डब्लू0–2 एस.एस.आई. वेद सिंह**, के द्वारा दिनांक 16.10.2019 को मुख्य परीक्षा में दिया गया सशपथ बयान यह है कि, ''दिनांक 02.01.2018 को मैं थाना अमरोहा नगर में चौकी इंचार्ज मुरादाबादी गेट पर तैनात था। उसी दिन मैं, एस.आई. पवन कुमार सिंह, एस.आई. राजीव कुमार, महिला कां0 अर्चना, राखी, कां0 मोहित कुमार, कां0 नरेश कुमार के साथ मय सरकारी जीप व चालक रपट नं0 22 समय 12.10 बजे दिन थाने से रवाना होकर क्षेत्र में गश्त पर थे। जब हम कांठ रोड पर थे, तब मुखबिर ने एस.आई. पवन कुमार को सूचना दी कि मौ0 कुरैशी में गली में कल्लन की पत्नी व उसका लड़का अपने घर में डोडा एवं चरस की पुड़िया बनाकर बेच रहे हैं। सूचना पर विश्वास करके हम मुखबिर को साथ लेकर मौके पर गये। जनता के गवाह लेने का प्रयास किया कोई तैयार नहीं हुआ। तब हम लोगों ने आपस में तलाशी ली कि हमारे पास कोई नाजायज वस्तु नहीं है। मुखबिर मौके पर मकान की तरफ इशारा करके चला गया। मकान का दरवाजा लकड़ी का था। दरवाजे के दराजों में से झांक कर देखा तो महिला व उसका लड़का पैकेट तैयार कर रहे थे। हम पुलिस वाले समय करीब 16.45 बजे घर में एक दम घुसे और पैकिंग कर रहे लड़के व औरत को पकड़ लिया। नाम व पता पूछते हुए जामा तलाशी ली। लड़के ने अपना नाम मोहसिन पुत्र कल्लन बताया और महिला ने अपना नाम फरीदा पत्नी स्व 0 कल्लन बताया। महिला की तलाशी महिला कां0 द्वारा व मोहसिन की तलाशी अन्य पुलिस वालों द्वारा ली गयी। मोहसिन की तलाशी में मोहसिन की पहनी पैन्ट की दोनों जेबों से पन्नी में रखी धूपबत्ती टाइप दो पैकेट बरामद हुए। पूछने पर बताया कि यह चरस है और सामने कट्टे में रखे लकड़ी के बुरादा टाइप चूर्ण बरामद हुआ। जिसको पूछने पर बताया कि यह डोडा चूर्ण है, जिसको बेचने के लिए हम डोडा चूर्ण की 50 ग्राम–50 ग्राम की पुड़िया तैयार कर रहे थे। हम पुलिस वालों ने पकड़े गये दोनों महिला व लड़के से तलाशी लेने से पहले कहा कि अगर आप चाहो तो अपनी तलाशी किसी राजपत्रित अधिकारी से करवाना चाहते हो तो उन्होंने कहा कि आपने पकड़ लिया है आप ही तलाशी ले लो। मौके पर सारा सामान सील किया। फर्द मौके पर एस.आई. पवन कुमार द्वारा तैयार की गई थी, जिस पर हमराह पुलिस कर्मी के हस्ताक्षर करवाये गये तथा सबको पढ़कर सुनायी गयी। फर्द की प्रति दोनों की सहमति से मोहसिन को दी गई तथा दोनों अभियुक्त के निशानी अंगूठा अंकित किया गया। फर्द पर मेरे भी हस्ताक्षर हैं। प्रमाणित करता हूँ। विवेचक ने मेरे बयान लिये थे। ''

(iii) **अभियोजन साक्षी पी0 डब्लू0–3 कां0 क्लर्क खचेडू सिंह,** जोकि प्रस्तुत प्रकरण का एफ 0 आई 0 आर 0 लेखक है, के द्वारा दिनांक 23.01.2020 को मुख्य परीक्षा में दिया गया सशपथ बयान यह है कि, ''दिनांक 02.01.2018 को मैं थाना अमरोहा नगर पर कां0 क्लर्क के पद पर कार्यरत था। उसी दिन वादी मुकदमा एस.आई. श्री पवन सिंह के द्वारा दी गई फर्द बरामदगी के आधार पर मु0 अ 0 सं0 02/2018 राज्य प्रति फरीदा,

धारा 8/15 एन.डी.पी.एस. एक्ट व अ0सं0 03/2018 धारा 8/20 एन.डी.पी.एस. एक्ट बनाम मोहसिन की एफ0आई0आर0 समय 18.46 बजे कम्प्यूटर पर मौजूद आरक्षी गुफरान अली से बोल–बोल कर टाईप करायी गयी तथा कायमी जी0डी0 रपट नं0 31 समय 18.46 बजे कम्प्यूटर पर मौजूद आरक्षी गुफरान अली से बोल–बोल कर मेरे द्वारा टाईप कराई गई। मूल एफ0आई0आर0 व कायमी जी0डी0 की कम्प्यूटर प्रति पत्रावली पर मौजूद है। यह वही एफ0आई0आर0 व कायमी जी0डी0 है, जो मेरे द्वारा बोल–बोलकर टाईप करायी गई थी। साबित करता हूँ। मु0अ0सं0 02/2018 की एफ0आई0आर0 पर **प्रदर्श क–3** व मु0अ0सं0 03/2018 की एफ0आई0आर0 पर **प्रदर्श क–4** तथा दोनों अभियोगों की कायमी जी0डी0 की कम्प्यूटरीकृत प्रति पर **प्रदर्श क–5** डाला गया।''

(iv) अभियोजन साक्षी पी0डब्लू0–4 हैड कां0 मिथलेश त्रिपाठी, के द्वारा दिनांक 26.02.2020 को मुख्य परीक्षा में दिया गया सशपथ बयान यह है कि, ''दिनांक 11.01.2018 को मैं थाना अमरोहा नगर पर महिला आरक्षी के पद पर कार्यरत थी। उसी दिन मु0अ0सं0 02/2018 धारा 8/15 एन.डी.पी.एस. एक्ट थाना अमरोहा नगर बनाम फरीदा आदि से संबंधित नमूना माल 200 ग्राम डोडा चूर्ण सील सर्वे मुहर थाने से प्राप्त कर व मु0अ0सं0 03/2018 धारा 8/20 एन.डी.पी.एस. एक्ट थाना अमरोहा नगर बनाम मोहसिन से संबंधित नमूना माल 50 ग्राम चरस सील सर्वे मुहर थाने से प्राप्त कर एफ.एस.एल. मुरादाबाद पर क्रमशः क्रमांक 89/18, 90/18 पर मेरे द्वारा दाखिल किया गया। दाखिला प्राप्ति रसीद पत्रावलियों पर संलग्न है। जिन पर मेरे हस्ताक्षर हैं। साबित करती हूँ, जिन पर क्रमशः **प्रदर्श क–6** व **प्रदर्श क–7** डाला गया।''

(v) अभियोजन साक्षी पी0डब्लू0–5 सेवानिवृत्त एस.आई. सत्यदेव सिंह, जोकि प्रस्तुत प्रकरण का विवेचक है, के द्वारा दिनांक 14.09.2021 को मुख्य परीक्षा में दिया गया सशपथ बयान यह है कि, ''दिनांक 2 जनवरी 2018 को मैं बतौर उपनिरीक्षक थाना अमरोहा नगर में तैनात था। उस दिन मुझे अ0सं0 2/2018 व 3/2018 की विवेचना सौंपी गयी। थाना कार्यालय से मु0अ0सं0 2/2018 व 3/2018 की नकल चिक, नकल रपट कायमी मुकदमा, गिरफ्तारी मीमो व अन्य प्रपत्र का अवलोकन किया, वह सी.डी. में उसका उल्लेख किया। सी.डी. I में नकल चिक एफ.आई.आर., नकल रपट कायमी, बयान अभियुक्ता फरीदा व बयान अभियुक्त मोहसिन व बयान एफ.आई.आर. लेखक व नकल सहमति पत्र अन्वीस धारा 50 एन.डी.पी.एस. एक्ट का उल्लेख किया। सी0डी0 II में बयान वादी एस.आई. पवन कुमार सिंह दिनांक 04.01.2018 को अंकित कर उनकी निशांदेही पर घटनास्थल का निरीक्षण कर नक्शा नजरी तैयार किया गया, जोकि पत्रावली पर मौजूद कागज सं0 5A/10 मौजूद है। पत्रावली पर संलग्न है। मेरे लेख व हस्ताक्षर में है। **प्रदर्श क–8** डाला गया। सी0डी0 III दिनांक 08.01.2018 में बयान गवाह एस.आई. राजीव कुमार, एस.आई. वेद सिंह,

कां0 737 मोहित कुमार, कां0 65 नरेश कुमार के बयान उल्लेखित किये गये। सी0 डी0 4 दिनांक 12.01.2018 परीक्षण हेतु बरामद माल विधि विज्ञान प्रयोगशाला महिला मुख्य आरक्षी 131 मिथलेश त्रिपाठी द्वारा भेजा गया। जिसका उल्लेख सी.डी. में किया गया है। सी.डी. 5 दिनांक 23.01.2018 को बयान गवाह महिला आरक्षी 507 अर्चना, महिला आरक्षी 853 राखी, महिला आरक्षी 502 अर्चना के बयान सी0 डी0 में उल्लेखित किये गये। सी0 डी0 6 दिनांक 23.02.2018 विधि विज्ञान से संबंधित माल की रिपोर्ट प्राप्त करने हेतु स्मृति पत्र भेजा गया। जिसका उल्लेख सी .डी. में किया गया। दोनों मुकदमों का उल्लेख किया गया है। सी0 डी0 7 दिनांक 01.03.2018 नकल परीक्षण रिपोर्ट विधि विज्ञान प्रयोगशाला से मु0 अ0 सं0 2/2018 व 3/2018 की प्राप्त हुई। जोकि पत्रावली पर मौजूद कागज सं0 7A तथा दूसरी पत्रावली पर मौजूद कागज सं0 7A/1 मौजूद है। यह वही रिपोर्ट विधि विज्ञान प्रयोगशाला द्वारा संबंधित मुकदमों में भेजी गयी थी। मेरे द्वारा इनका उल्लेख सी.डी. में किया गया है। साबित करता हूँ। दोनों पर क्रमशः **प्रदर्श क–9** व **क–10** डाला गया। मोहसिन व फरीदा के विरूद्ध साक्ष्यों के आधार पर व गवाहों के बयानों के आधार पर आरोप पत्र संख्या 77/18 दिनांक 01.03.2018 अंतर्गत धारा 8/15 एन.डी.पी.एस. एक्ट बनाम मोहसिन व फरीदा के विरूद्ध माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया। कम्प्यूटरीकृत आरोप पत्र पत्रावली पर मौजूद कागज संख्या 3A/1 ता 6 मौजूद है। जिस पर मेरे हस्ताक्षर हैं। शिनाख्त करता हूँ, **प्रदर्श क–11** तथा आरोप पत्र सं0 78/18 दिनांक 01.03.2018 को अभियुक्त मोहसिन के विरूद्ध साक्ष्य संकलित कर 8/20 एन.डी.पी.एस. एक्ट में आरोप पत्र माननीय न्यायालय को प्रेषित किया, जोकि दूसरी पत्रावली में कागज सं0 3A/1 ता 5 मौजूद है। जोकि कम्प्यूटर द्वारा टाईप किया गया है। पत्रावली पर मौजूद है। शिनाख्त करता हूँ, जिस पर **प्रदर्श क–12** डाला गया। ''

<u>साक्ष्यिक विवेचन</u>

13– अभियुक्तगण पर आरोप है कि दिनांक 02.01.2018 को समय 16.46 बजे बहद स्थान अभियुक्तगण का घर मौ0 कुरैशी हल्का चौकी भूड़, थाना अमरोहा नगर, जिला अमरोहा में उन्हें पुलिस पार्टी द्वारा मुखबिर खास की सूचना के आधार पर गिरफ्तार किया गया तथा जामातलाशी पर अभियुक्तगण फरीदा व मोहसिन के कब्जे से 5 किलोग्राम डोडा चूर्ण तथा अभियुक्त मोहसिन के कब्जे से 200 ग्राम चरस नाजायज बरामद किया गया, जिन्हें रखने का उनके पास कोई लाईसेंस नहीं था।

14– उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय को यह देखना है कि क्या अभियुक्तगण पर लगाये गये आरोप संदेह से परे साबित हो रहे हैं या नहीं ?

15– अभियोजन कथानक के अनुसार, दिनांक 02.01.2018 को वादी मुकदमा एस.आई. पवन कुमार सिंह हमराही पुलिसकर्मी एस.आई. राजीव कुमार व एस.आई. वेद सिंह, म0 कां0 507 अर्चना व म0 कां0 502 अर्चना व म0 कां0 853 राखी व कां0

737 मोहित कुमार व 65 नरेश कुमार के मय सरकारी जीप UP23G0227 के चालक पातीराम के साथ थाने से रपट नं० 22 समय 12.10 बजे रवाना होकर थानाक्षेत्र में चैकिंग हेतु कांठ रोड पर थे तो मुखबिर खास से सूचना मिली कि मौहल्ला कुरैशी गली नं० 1 में स्व० कल्लन की पत्नी व लड़का अपने घर के आंगन में डोडा व चरस की पुड़िया बनाकर बेच रहे हैं। इस सूचना के आधार पर पुलिस वाले मौहल्ला कुरैशी में गली नं० 1 के मोड़ पर पहुंचे तो मुखबिर द्वारा गली में एक मकान की तरफ इशारा करके बताया गया कि यही कल्लन का मकान है। पुलिसवालों ने दबे पांव मैन दरवाजे पर जाकर छिपकर देखा कि एक औरत व एक लड़का आंगन में बैठकर पॉलीथीन में कुछ चूर्ण टाइप का पैक कर रहे हैं। तब मुखबिर द्वारा दी गई सूचना पर पुलिसवालों को पूर्ण विश्वास हो गया और पुलिसवालों ने दबिश देकर पैकिंग कर रहे लड़के व औरत को समय करीब 16.45 बजे महिला के मान सम्मान को दृष्टिगत रखते हुए महिला कां० द्वारा दोनों को पकड़कर नाम पता पूछते हुए जामातलाशी ली गई, तो लड़के ने अपना नाम मोहसिन पुत्र स्व० कल्लन व पकड़ी गई महिला ने अपना नाम फरीदा पत्नी स्व० कल्लन बताया। पकड़े गये दोनों लोगों को बताया गया कि यदि वे चाहे तो अपनी तलाशी किसी राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट के समक्ष लिवा सकते हैं तो दोनों ने एक राय होकर मना कर दिया और मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों द्वारा ही जामातलाशी लिये जाने हेतु सहमति व्यक्त की गई। इसके बाद धारा 50 एन.डी.पी.एस. एक्ट के अंतर्गत सहमति पत्र तैयार कर दोनों के अलामात बनवाये गये। जामातलाशी में मोहसिन की पैंट की दोनों जेबों से पन्नी में रखी धूपबत्ती टाइप के दो पैकेट बरामद हुए जिनके बारे में उसने बताया कि यह चरस है। प्लास्टिक के कट्टे में रखे लकड़ी के बुरादा टाइप चूर्ण जिससे पकड़े गये दोनों लोग/लड़का व महिला छोटी–छोटी पन्नियों में करीब 50 ग्राम की पुड़िया बना रहे थे, के बारे में महिला फरीदा द्वारा बताया गया कि यह डोडा चूर्ण है जिसे बेचने के लिए पुड़िये तैयार कर रहे हैं। डोडा चूर्ण व चरस बेचने का लाइसेंस तलब करने पर नहीं दिखा सके। मौके पर एक प्लास्टिक के कट्टे में डोडा चूर्ण करीब 3.300 किलोग्राम एवं प्लास्टिक पन्नी में भरे डोडा चूर्ण करीब 50 ग्राम की तीस पुड़िया और करीब 70 खाली पॉलीथीन व एक स्टेप्लर, जिससे पॉलीथीन पैकेट पैक किये जा रहे थे व एक स्टील का चम्मच, जिससे अंदाज से पॉलीथीन में भरकर पैकेट बनाये जा रहे थे, बरामद हुई। पास की दुकान से बाट तराजू मंगवाकर बरामद माल तोला गया। प्लास्टिक के कट्टे में डोडा चूर्ण 3 किलो 300 ग्राम व पॉलीथीन के तीस पैकेट में 1 किलो 600 ग्राम डोडा चूर्ण व मोहसिन से बरामद दो पॉलीथीन में चरस 200 ग्राम बरामद हुआ। बरामद माल से डोडा चूर्ण के दो पैकेट प्रत्येक पॉलीथीन में 100 ग्राम डोडा चूर्ण प्लास्टिक कट्टे से एक सफेद कपड़े में रखकर व बरामद चरस के पैकेट से करीब 50 ग्राम एक पॉलीथीन पैकेट में निकाल कर एक सफेद कपड़े में रखकर परीक्षण हेतु सील किया गया व बरामद डोडा चूर्ण, स्टेप्लर व स्टील का चम्मच उसी कट्टे में रखकर सील

मुहर किया गया तथा बरामद शेष 150 ग्राम चरस एक पॉलीथीन में रखकर सफेद कपड़े में सील मुहर किया गया और अभियुक्तगण को हिरासत में लिया गया। फर्द, धारा 50 के प्रावधानों का सहमति पत्र मौके पर तैयार कर वादी द्वारा पुलिस पार्टी को पढकर सुनाकर गवाही करायी गई और गिरफ्तारी की सूचना अभियुक्तगण के परिजन अभियुक्ता की पुत्री चांदनी व साईन को दी गई।

उक्त फर्द बरामदगी के आधार पर वादी मुकदमा एस.आई. पवन कुमार सिंह द्वारा घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट थाने पर उसी दिन दिनांक 02.01.2018 को समय 18.46 पर दर्ज करायी गई।

16– अभियोजन द्वारा अपने कथानक को साबित करने के लिए **पी०डब्लू० 1** के रूप में वादी मुकदमा एस.आई. पवन सिंह को परीक्षित कराया गया है, इस साक्षी द्वारा अपनी मुख्यपरीक्षा में अभियोजन कथानक का पूर्णतया समर्थन किया गया है और यह कथन किया गया है कि घटना दिनांक 02.01.2018 को वह हमराही पुलिसकर्मियों पुलिसकर्मी एस.आई. राजीव कुमार व एस.आई. वेद सिंह, म0कां0 507 अर्चना व म0कां0 502 अर्चना व म0कां0 853 राखी व कां0 737 मोहित कुमार व 65 नरेश कुमार के मय सरकारी जीप UP23G0227 के चालक पातीराम के साथ थानाक्षेत्र में गश्त पर था तथा कांठ रोड पर मुखबिर द्वारा सूचना मिली की मौहल्ला कुरैशी गली नं० 1 में स्व० कल्लन की पत्नी व लड़का अपने घर के आंगन में डोडा व चरस की पुडिये बनाकर बेच रहे हैं। इस सूचना पर विश्वास करके पुलिसवाले चुपचाप बताये गये स्थान पर पहुंचे, जहाँ घर के आंगन में एक लड़का व एक औरत पॉलीथीन में कुछ चूरन टाइप वस्तु पैक कर रहे थे और पुलिस वालों ने समय करीब 16.45 पर पैकिंग कर रहे लड़के व औरत को पकड़ लिया। महिला की जामातलाशी महिला कां० द्वारा ली गई व अभियुक्त मोहसिन की तलाशी अन्य पुलिसवालों द्वारा ली गई। मोहसिन की तलाशी में उसकी पहनी हुई पेंट की दोनों जेबों से पन्नी में रखी धूपबत्ती टाइप के दो पैकेट बरामद हुए। जिसके बारे में पूछने पर उसने बताया कि यह चरस है और सामने कट्टे में रखे बुरादा टाइप चूर्ण को महिला फरीदा ने बताया कि ये डोडा चूर्ण है, जिसे बेचने के लिए पुड़िया तैयार कर रहे हैं। साक्षी का यह भी कथन है कि तलाशी लेने से पहले पुलिस वालों ने पकड़े गये महिला व लड़के से कहा था कि यदि वे चाहे तो उनकी तलाशी किसी राजपत्रित अधिकारी/मजिस्ट्रेट के समक्ष ली जा सकती है, परंतु दोनों ने मौके पर मौजूद पुलिसवालों द्वारा ही अपनी तलाशी लेने हेतु सहमति दी थी, जिसका सहमति पत्र तैयार किया गया था। धारा 50 एन.डी.पी.एस. एक्ट के सहमति पत्र को प्रदर्श क–1 के रूप में तथा फर्द बरामदगी को प्रदर्श क–2 के रूप में साबित किया गया है। इसके अलावा बरामद माल प्लास्टिक के कट्टे को वस्तु प्रदर्श–1, कट्टे के अन्दर भरी 30 पॉलीथीन जिनमें डोडा चूर्ण भरा है, को वस्तु प्रदर्श–2 ता 31, कट्टे के अन्दर मौजूद स्टील की चम्मच को वस्तु प्रदर्श–32, स्टेप्लर को वस्तु प्रदर्श–33, कट्टे में मौजूद

खाली पन्नी के पैकेट को वस्तु प्रदर्श–34 के रूप में साबित किया गया है। साथ ही बरामद चरस को वस्तु प्रदर्श–35 व बरामद डोडा चूर्ण को वस्तु प्रदर्श–36 के रूप में साबित किया गया है।

बचाव पक्ष द्वारा इस साक्षी से प्रतिपरीक्षा की गई, प्रतिपरीक्षा में भी इस साक्षी द्वारा अभियोजन कथानक का समर्थन किया गया है और ऐसा कोई कथन नहीं किया गया है जो इस साक्षी के साक्ष्य पर संदेह उत्पन्न करता हो। प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी का कथन है कि फर्द बरामदगी उसके द्वारा लिखी गई थी। मौके पर नमूना लिया गया था। माल को मौके पर ही सील किया गया था। न्यायालय में जो माल खुला है, यह माल वही है। 5 किलो डोडा, 200 ग्राम चरस, एक स्टील की चम्मच, एक स्टेप्लर व तीस पन्नियों में डोडा चूर्ण था। माल थाने पर लाकर हेड मौहर्रिर खचेडू सिंह के हवाले किया गया था।

17– अभियोजन की ओर से दूसरे साक्षी एस.एस.आई. वेद सिंह को **पी०डब्लू० 2** के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जोकि घटना के समय पुलिस पार्टी में हमराही था। इस साक्षी ने मुख्यपरीक्षा में अभियोजन कथानक का तथा साक्षी पी०डब्लू० 1 के कथनों का पूर्णतया समर्थन किया है तथा प्रतिपरीक्षा में भी इस साक्षी द्वारा ऐसा कोई कथन नहीं किया गया है, जो इस साक्षी के साक्ष्य पर संदेह उत्पन्न करता हो। प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी का कथन है कि फर्द एस.आई. पवन कुमार ने लिखी थी। मुल्जिमान से उच्चाधिकारियों को बुलाने हेतु कहा गया था, परंतु उन्होंने मना कर दिया था, इसलिये उच्चाधिकारियों को नहीं बुलाया गया। माल मुकदमा मौके पर सील किया गया था।

18– तीसरे अभियोजन साक्षी **पी०डब्लू० 3** सी.सी. खचेडू सिंह हैं, जो इस मुकदमें के एफ०आई०आर० लेखक हैं। इस साक्षी ने अपनी मुख्यपरीक्षा में यह कथन किया है कि दिनांक 02.01.2018 को उसने वादी मुकदमा एस.आई. पवन सिंह द्वारा दी गई फर्द बरामदगी के आधार पर मु०अ०सं० 02/2018, राज्य बनाम फरीदा आदि धारा 8/15 एन.डी.पी.एस. एक्ट व मु०अ०सं० 02/2018, धारा 8/20 एन.डी.पी.एस. एक्ट, राज्य बनाम मोहसिन की एफ०आई०आर० समय 18.46 पर तथा कायमी जी०डी० रपट नं० 31 समय 18.46 बजे आरक्षी गुफरान अली से बोल–बोलकर कम्प्यूटर पर टाईप कराई थी। साक्षी द्वारा मु०अ०सं० 02/2018 की एफ०आई०आर० की मूल प्रति को प्रदर्श क –3 व मु०अ०सं० 03/2018 की एफ०आई०आर० की मूल प्रति को प्रदर्श क –4 तथा दोनों मुकदमों की कायमी जी०डी० की कम्प्यूटरीकृत प्रति को प्रदर्श क–5 के रूप में साबित किया गया है।

प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी ने कथन किया है कि इस मुकदमें के वादी एस.आई. पवन कुमार सिंह हैं। मुकदमा लिखाने के लिए उसे फर्द, माल व मुल्जिम दिया गया था। एफ०आई०आर० लिखाने हेतु दिनांक 02.01.2018 को 18.46 बजे आये थे।

इस प्रकार इस साक्षी द्वारा भी अभियोजन कथानक का पूर्णतया समर्थन किया

गया है।

19– अभियोजन साक्षी **पी०डब्लू० 4** हेड कां० 131 मिथलेश त्रिपाठी हैं, जिसके द्वारा नमूना माल थाने से प्राप्त कर एफ०एस०एल० मुरादाबाद पर दाखिल किया गया था। इस साक्षी द्वारा अपनी मुख्यपरीक्षा में यह कथन किया गया है कि दिनांक 11.01.2018 को उसे मु०अ०सं० 02/2018 से संबंधित नमूना माल 200 ग्राम डोडा चूर्ण सील सर्वे मोहर व मु०अ०सं० 03/2018 से संबंधित नमूना माल 50 ग्राम चरस सील सर्वे मोहर थाने से प्राप्त कर एफ०एस०एल० मुरादाबाद पर क्रमशः क्रमांक 89/2018 व 90/2018 पर उसके द्वारा दाखिल किया गया था, जिसकी दाखिला प्राप्ति रसीद को साक्षी द्वारा क्रमशः प्रदर्श क–6 व प्रदर्श क–7 के रूप में साबित किया गया है।

प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी का कथन है कि उसने नमूना माल दिनांक 11.01.2018 को ही एफ०एस०एल० मुरादाबाद में जमा कर दिया था। इस साक्षी के साक्ष्य में अन्य कोई उल्लेखनीय तथ्य सामने नहीं आया है।

20– अभियोजन साक्षी **पी०डब्लू०** 5 सत्यदेव सिंह हैं, जो इस मुकदमें के विवेचक हैं। अपनी मुख्यपरीक्षा में इस साक्षी ने अपनी विवेचना संबंधी कार्यवाही का पूर्ण विवरण देते हुए साक्ष्य दिया है। इस साक्षी द्वारा घटना स्थल के नक्शा नजरी को अपने लेख व हस्ताक्षर में होना स्वीकार करते हुए प्रदर्श क–8 के रूप में साबित किया गया है। दिनांक 01.03.2018 को मु०अ०सं० 02/2018 में प्राप्त विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट को प्रदर्श क–9 व मु०अ०सं० 03/2018 में प्राप्त विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट को प्रदर्श क–10 के रूप में साबित किया गया है। इसके अलावा मु०अ०सं० 02/2018 में अभियुक्तगण फरीदा व मोहसिन के विरूद्ध दाखिल आरोप पत्र संख्या 77/2018 दिनांकित 01.03.2018 को प्रदर्श क–11 व मु०अ०सं० 03/2018 में अभियुक्त मोहसिन के विरूद्ध दाखिल आरोप पत्र 78/2018 दिनांकित 01.03.2018 को प्रदर्श क–12 के रूप में साबित किया गया है।

बचावपक्ष द्वारा इस साक्षी से विस्तृत प्रतिपरीक्षा की गई है, परंतु इस साक्षी की प्रतिपरीक्षा में ऐसा कोई उल्लेखनीय तथ्य सामने नहीं आया है, जो अभियोजन कथानक पर संदेह उत्पन्न करता हो और जिसका कोई लाभ अभियुक्तगण को प्राप्त हो सके।

21– यहां बचाव पक्ष का यह तर्क है कि प्रस्तुत प्रकरण में धारा 50 एन.डी.पी.एस. एक्ट का अनुपालन नहीं किया गया है, क्योंकि अभियुक्तगण की तलाशी किसी राजपत्रित अधिकारी/मजिस्ट्रेट के समक्ष नहीं ली गई। इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि अभियुक्तगण द्वारा नशीले पदार्थ की पुड़िया बनाये जाने की सूचना पुलिस पार्टी को गश्त के दौरान जरिये मुखबिर मिली थी और अभियुक्तगण पुलिस पार्टी द्वारा मौके पर डोडा चूर्ण की पुड़िया बनाते हुए पकड़े गये थे। इसी क्रम में अभियुक्त मोहसिन की जामातलाशी में उसकी जेब से चरस बरामद हुई। यह भी उल्लेखनीय है कि अभियुक्तगण

को राजपत्रित अधिकारी/मजिस्ट्रेट के समक्ष तलाशी देने हेतु कहा गया था, परंतु अभियुक्तगण ने मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों द्वारा ही तलाशी लिये जाने हेतु सहमति दी, जो सहमति पत्र अभियोजन द्वारा साबित किया गया है। इसलिये इस बिन्दु पर बचाव पक्ष का तर्क स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

22– बचाव पक्ष का एक तर्क यह भी है कि उन्हें रंजिशन फंसाया गया है, क्योंकि पुलिस से उनकी कहासुनी हो गई थी, परंतु इस तर्क के समर्थन में बचाव पक्ष द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। इसलिए बचाव पक्ष का यह तर्क भी स्वीकार्य नहीं है।

23– इस प्रकार उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अभियोजन द्वारा प्रस्तुत सभी साक्षियों द्वारा अभियोजन कथानक का पूर्णतः समर्थन किया गया है। अभियुक्तगण फरीदा व मोहसिन से बरामद माल विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट **प्रदर्श क–9** में **डोडा चूर्ण** और अभियुक्त मोहसिन से बरामद माल विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट **प्रदर्श क–10** में **चरस** पाया गया है। मामले के समस्त तथ्यों व साक्ष्यों के विश्लेषण से न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अभियुक्तगण पर लगाये गये आरोप संदेह से परे साबित हो रहे हैं। तदानुसार **मु0अ0सं0 02/2018** में अभियुक्तगण **फरीदा व मोहसिन** धारा 8/15(b) एन.डी.पी.एस. एक्ट के अन्तर्गत व **मु0अ0सं0 03/2018** में अभियुक्त **मोहसिन** धारा 8/20(b)(ii)(B) एन.डी.पी.एस. एक्ट के अंतर्गत दोषसिद्ध किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

सत्र परीक्षण संख्या– 24/2018, **मु0अ0सं0 02/2018**, राज्य बनाम फरीदा, थाना अमरोहा नगर, जिला अमरोहा में अभियुक्तगण **फरीदा व मोहसिन** को धारा 8/15(b) एन.डी.पी.एस. एक्ट के अन्तर्गत दोषसिद्ध किया जाता है।

सत्र परीक्षण संख्या–25/2018, **मु0अ0सं0 03/2018**, राज्य बनाम मोहसिन, थाना अमरोहा नगर, जिला अमरोहा में अभियुक्त **मोहसिन** को धारा 8/20(b)(ii)(B) एन.डी.पी.एस. एक्ट के अन्तर्गत दोषसिद्ध किया जाता है।

अभियुक्तगण इस मामले में जमानत पर है। अभियुक्तगण के बन्धपत्र निरस्त किये जाते हैं तथा प्रतिभूओं को उन्मोचित किया जाता है। अभियुक्तगण द्वारा धारा 437 ए दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत प्रस्तुत किये गये व्यक्तिगत बन्धपत्र व जमानतनामे अगले छः माह तक प्रभावी रहेंगे।

अभियुक्तगण फरीदा व मोहसिन न्यायालय के समक्ष उपस्थित हैं। अभियुक्तगण को न्यायिक अभिरक्षा में लेकर जिला कारागार, बिजनौर भेजा जाये। दण्ड के प्रश्न पर सुनवाई हेतु पत्रावली दिनांक 20.04.2026 को पेश हो।

दिनांकः 18.04.2026

(ज्योति)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
त्वरित न्यायालय (द्वितीय), अमरोहा।
(J.O.CODE– UP 1770)

<u>दिनांक 20.04.2026</u>–

पत्रावली आज दण्ड के प्रश्न पर सुनवाई के लिए प्रस्तुत हुई है। अभियुक्तगण फरीदा व मोहसिन न्यायालय के समक्ष न्यायिक अभिरक्षा में उपस्थित हैं।

अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी को दण्ड के प्रश्न पर सुना गया।

अभियुक्तगण के पक्ष में विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि अभियुक्तगण गरीब व्यक्ति है। अभियुक्ता फरीदा महिला है, जो अक्सर बीमार रहती है। अभियुक्तगण पर परिवार की जिम्मेदारी है, उनके अतिरिक्त परिवार में अन्य कोई कमाने वाला व्यक्ति नहीं है। अतः अभियुक्तगण को कम से कम सजा दी जाये।

अभियोजन की ओर से कहा गया है कि अभियुक्तगण के पास से डोडा चूर्ण व चरस बरामद हुआ है, जो अल्पमात्रा से अधिक है। अतः अपराध की गम्भीरता को देखते हुए अभियुक्तगण को अधिकतम दण्ड से दण्डित किया जाये।

अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि अभियुक्तगण फरीदा व मोहसिन पर एन.डी.पी.एस. एक्ट की धारा 8/15(b) का अपराध तथा अभियुक्त मोहसिन पर एन.डी.पी.एस. एक्ट की धारा 8/20(b)(ii)(B) का अपराध साबित हुआ है। अतः अभियुक्तगण की आयु, उनके सामाजिक दायित्व और अपराध से दूर रहने के लिए समाज में जाने वाले सन्देश, सभी तथ्यों में सामन्जस्य बनाते हुए और न्याय के हित को साधते हुए अभियुक्तगण फरीदा व मोहसिन को मु0अ0सं0 02/2018 में धारा 8/15(b) एन.डी.पी.एस. एक्ट के अन्तर्गत चार–चार वर्ष के सश्रम कारावास एवं 10,000–10,000/– रूपये के अर्थदण्ड से तथा अभियुक्त मोहसिन को मु0अ0सं0 03/2018 में धारा 8/20(b)(ii)(B) एन.डी.पी.एस. एक्ट के अन्तर्गत चार वर्ष के सश्रम कारावास एवं 10,000/– रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाना विधिसम्मत होगा। तदानुसार निम्नलिखित दण्डादेश पारित किया जा रहा है–

<u>आदेश</u>

सत्र परीक्षण संख्या– 24/2018, मु0अ0सं0 02/2018, राज्य बनाम फरीदा, थाना अमरोहा नगर, जिला अमरोहा के प्रकरण में अभियुक्तगण फरीदा व मोहसिन को एन.डी.पी.एस. एक्ट, 1985 की धारा 8/15(b) के अन्तर्गत **चार–चार वर्ष के सश्रम कारावास** एवं **10,000–10,000/– रूपये के अर्थदण्ड** से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने पर अभियुक्तगण एक माह का अतिरिक्त कारावास भोगेंगे।

सत्र परीक्षण संख्या–25/2018, मु0अ0सं0 03/2018, राज्य बनाम मोहसिन, थाना अमरोहा नगर, जिला अमरोहा के प्रकरण में अभियुक्त मोहसिन को एन.डी.पी.एस. एक्ट, 1985 की धारा 8/20(b)(ii)(B) के अन्तर्गत **चार वर्ष के सश्रम कारावास** एवं **10,000/– रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित** किया जाता है।

अर्थदण्ड अदा न करने पर अभियुक्त एक माह का अतिरिक्त कारावास भोगेगा।

अभियुक्तगण द्वारा इस मुकदमें में पूर्व में जेल में बिताई गयी अवधि धारा 428 दं0 प्र 0 सं0 के अन्तर्गत उनकी सजा में समायोजित की जाये।

अभियुक्तगण फरीदा व मोहसिन का सजायाबी वारंट बनाकर उन्हें सजा भुगतने के लिये जिला कारागार, बिजनौर प्रेषित किया जायें।

अभियुक्तगण को इस निर्णयादेश की प्रति अविलम्ब निःशुल्क प्रदान की जाये तथा एक प्रति धारा 365 दं0 प्र 0 सं0 के अनुपालन में जिला मजिस्ट्रेट, अमरोहा को प्रेषित की जाये।

माल मुकदमा बाद अपील अवधि नियमानुसार समिति के द्वारा नीलाम या विनिष्ट किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

इस निर्णयादेश की एक प्रति सम्बन्धित सत्र परीक्षण संख्या–25/2018 राज्य बनाम मोहसिन की पत्रावली पर भी रखी जाये तथा निर्णीत पत्रावलियाँ नियमानुसार अभिलेखागार दाखिल की जाये।

दिनांकः 20.04.2026

(ज्योति)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
त्वरित न्यायालय (द्वितीय)
अमरोहा।
(J.O.CODE– UP 1770)

आज यह निर्णयादेश मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित, दिनांकित कर उदघोषित किया गया।

Dictated on : 20.04.2026
Transcribed on: 20.04.2026
checked on : 20.04.2026
Signed on : 20.04.2026

(ज्योति)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
त्वरित न्यायालय (द्वितीय)
अमरोहा
(J.O.CODE– UP 1770)

नेहा
आशुलिपिक